## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर0के0 मिश्रा**

**सदस्य**

निगरानी प्रकरण कमांक 1164–दो/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–6–2015 पारित द्वारा तहसीलदार सरई जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक–19/अ–6–अ/2014–15.

................

कौशल प्रसाद पिता नचकू कुम्हार
गिरजा प्रसाद पिता नचकू कुमार
जगमतिया देवी पति स्व0 शंकर कुम्हार पिता नचकू
निवासी ओबरी तहसील सरई देवसर जिला
सिंगरौली म0प्र0

------आवेदकगण

विरूद्ध

1. राम जियावन तनय झुरू कुम्हार
निवासी ओबरी तहसील सरई देवसर जिला
सिंगरौली म0प्र0

2. मध्यप्रदेश शासन

------अनावेदकगण

....................

श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री एन0एस0 किरार, अभिभाषक, शासन

....................

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 27/06/18 को पारित )

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार सरई जिला सिंगरौली के आदेश दिनांक 16–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 रामजियावन ने मौजा एक आवेदन तहसीलदार देवसर के समक्ष प्रस्तुत किया कि प्रकरण कमांक 136/अ–19(4)/87–88 आ0दि0 29–1–88 का पालन/इत्तलाबी अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 663/निगरानी/10–11 का पालन कराया जाये। तहसीलदार ने आदेश दिनांक आदेश दिनांक 16–6–15 को आदेश पारित करते हुये अनावेदक रामजियावन का नाम अभिलेख

में दर्ज करने के आदेश दिये। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि प्रश्नाधीन भूमि गौठान के रूप में दर्ज है फिर भी अनावेदक के पक्ष में आवंटन कर दिया गया। यह भी तर्क किया कि बिना नोईयत परिवर्तित किये आवंटन नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में तहसीलदार के आदेश त्रुटिपूर्ण है।

4/ अनावेदक कं 1 पूर्व से एकपक्षीय है।

5/ अनावेदक कं 2 शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि थी जिसका अनावेदक रामजियावन को आवंटन किया गया था। विचारण न्यायायल का आदेश उचित है।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक रामजियावन ने 136/अ–19(4)/87–88 आ0दि0 29–1–88 के आवंटन के आधार पर अभिलेख सुधार/इत्तलाबी दर्ज करने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार द्वारा विधिवत अभिलेख का अवलोकन कर एवं व्यवहार न्यायालय के आदेशों के अवलोकन उपरांत अनावेदक रामजियावन का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के आवंटन आदेश दिनांक 29–1–88 को अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 663/निगरानी/2010–11 में पारित 17–4–2017 से उचित माना है। प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय देवसर एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय सिंगरौली द्वारा अनावेदक रामजियवान के पक्ष में निर्णय दिये गये है। दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा उक्त सभी बिन्दुओं पर विचार कर जो आदेश पारित किया है उसमें वैधानिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी खारिज की जाती है। तहसीलदार सरई जिला सिंगरौली का आदेश दिनांक 16–6–2015 स्थिर रखा जाता है।

(आर0 के0 मिश्रा) 27/6/18
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,